

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1

देहरादून दिनांक/ 2 नवम्बर, 2009

विषय: प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदानित मूल्य पर यंत्र वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2693/नियोजन-23/2009 दिनांक 13 अगस्त, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा केन्द्रपोषित योजनाओं एवं राज्यपोषित योजनाओं के माध्यम से किसानों को रुपये 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) अनुमानित मूल्य से अधिक मूल्य के कृषि यंत्र, मशीनरी एवं उपकरणों पर अनुदान दिये जाने हेतु लाभार्थियों के चयन, मशीनरी, यंत्रों एवं उपकरणों की गुणवत्ता तथा अनुदान वितरण की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है। रुपये 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) या इस से कम अनुमानित मूल्य के उपकरणों /यंत्रों को अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगी। अनुमानित मूल्य का निर्धारण निदेशक, कृषि द्वारा किया जायेगा।

2 यंत्रों मशीनरी एवं उपकरणों की गुणवत्ता/सब्सिडी

2.1 यंत्रों, उपकरणों एवं मशीनरी के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि वे या तो बी.आई.एस./आई.एस. आई. क्वालिटी मार्क हों अथवा केन्द्रीय मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान से टेस्टेड हो, जिसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाय।

(अ) भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रों/उपकरणों को, जिसकी सूची संलग्नक-1 पर है, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान से टेस्टेड होना अनिवार्य होगा। सूची में ट्रैक्टर को बुदनी (M0प्र0), कम्बाईन हार्वेस्टर को हिसार (हरियाणा), पावर टिलर को गारलैडिन (आ0प्र0) से परीक्षण होना अनिवार्य होगा तथा सूची की अन्य मशीनों/यंत्रों को हिसार, गारलैडिन तथा विश्वनाथ चराती (आसाम) से परीक्षण होना अनिवार्य होगा।

(ब) कृषि रक्षा यंत्र, सिंचाई यंत्र, डीजल इंजन आदि, जिनका बी0आई0एस0/आई0एस0आई0 प्रमाणीकरण उपलब्ध है, को बी0आई0एस0/आई0एस0आई0 मार्क होना आवश्यक होगा।

(स) भारत सरकार की सूची से अतिरिक्त यंत्रों को पंतनगर विश्वविद्यालय के फार्म मशीनरी विभाग से अनिवार्यतः परीक्षण कराया जाय। इन यंत्रों का परीक्षण भारतीय मानकों के अनुसार होना चाहिए। अगर किसी यंत्र/उपकरण के भारतीय मानक उपलब्ध नहीं है, तो उसका परीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाय।

(द) किसी नये विकसित यंत्र या Imported Machine के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्देश प्राप्त कर लिये जायें।

(य) यदि आवश्यक हो तो वितरित किये जाने वाले यंत्रों का पुनः परीक्षण निकटस्थ फार्म मशीनरी एवं टेस्टिंग सेन्टर अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केन्द्रों अथवा राज्य सरकार द्वारा नामांकित किसी शोध संस्थान से कराया जा सकता है।

2.2 यंत्रों के मार्केट सर्वे द्वारा आईटमवाईज न्यूनतम मूल्य निदेशालय/मुख्य कृषि अधिकारी जैसी स्थिति हो द्वारा प्राप्त कर लिए जायें। प्रत्येक यंत्र पर अनुदान उसके मार्केट सर्वे द्वारा प्राप्त न्यूनतम मूल्य के आधार पर नियमानुसार देय होगा।

2.3 सब्सिडी केवल ऐसे यंत्रों, उपकरणों तथा मशीनरी पर देय होगी जो रजिस्टर्ड होंगें।

2.4 रजिस्ट्रेशन केवल निर्माताओं (Manufacturing Firm) का ही किया जायेगा। स्थानीय विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा, किन्तु स्थानीय विक्रेताओं को निर्माता से प्राप्त सूचियों के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा।

2.5 ट्रेक्टर, पावर टिलर, पम्प सैट्स, स्पिंकलर सैट्स, स्पेयर, पाली हाउस एवं एच0डी0पी0ई0 पाईप के विनिर्माताओं का रजिस्ट्रेशन राज्य स्तर पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य यंत्रों, उपकरणों तथा मशीनरी का रजिस्ट्रेशन जिला स्तर व विकासखण्ड स्तर पर किया जायेगा। यदि कोई यंत्र/उपकरण या मशीनरी का विनिर्माता जिला स्तर पर पंजीकृत है, तो उस पर सब्सिडी उसी जिले में अनुमन्य होगी, किन्तु यदि यंत्र, उपकरण या मशीनरी विकासखण्ड स्तर पर पंजीकृत है तो उस पर सब्सिडी केवल उसी विकासखण्ड में अनुमन्य होगी।

2.6 राज्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन का दायित्व निदेशक, कृषि का होगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला मुख्य कृषि अधिकारी रजिस्ट्रेशन के जिम्मेदार होंगें। विकासखण्ड स्तर पर रजिस्ट्रेशन सहायक विकास अधिकारी(कृषि) द्वारा किया जायेगा।

2.7 रजिस्ट्रेशन पूर्णतया पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये किया जायेगा।

2.8 इस प्रकार किसी एक किस्म के यंत्र की आपूर्ति के सम्बन्ध में विभिन्न मेक तथा मॉडल्स की विशिष्टियों तथा आउटलेट्स का चार्ट उपलब्ध हो जायेगा जिसके आधार पर कृषक अपनी रुचि का मेक सुविधाजनक आउटलेट्स से क्रय कर सकेगा।

2.9 स्थानीय लोहारों द्वारा तैयार किये गये उपयोगी यंत्र जो नियमानुसार टेस्टेड एवं अनुमोदित हैं, को भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रय किया जा सकता है।

3 लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया

3.1 सभी न्याय पंचायत स्तरीय क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों से यंत्र/उपकरण/मशीनरी के आवेदन प्राप्त कर उन्हें विकासखण्ड स्तर पर सूचीबद्ध किया जाय। आवेदन पत्र में किसान का नाम, पिता का नाम, सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/लघु /सीमान्त कृषक(जैसी स्थिति हो), निवास का ब्यौरा यथा- ग्राम, न्याय पंचायत, जिला एवं अनुदानित मूल्य पर प्राप्त किये जाने वाले यंत्र का नाम मेक तथा मॉडल, पूर्व में अनुदानित मूल्य पर प्राप्त किये गये यंत्र/मशीनरी का विवरण आदि सूचनाओं का उल्लेख होगा।

3.2 किसान से प्राप्त आवेदन पत्र पर सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारी की संस्तुति अनिवार्य होगी। ऐसे किसी किसान जिसे वे ठीक से नहीं जानते हैं, के संदर्भ में ग्राम प्रधान/निर्वाचित जन प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य किसान जिसे वे अच्छी तरह जानते हों, से आवेदन पत्र पर पहचान करा सकते हैं।

3.3 यद्यपि सामान्यतः यंत्रों उपकरणों एवं मशीनरी पर अनुदान वितरण के संदर्भ में "पहले आओ पहले पाओ" का सिद्धान्त लागू होता है, तथापि लक्ष्य से अधिक मांग उत्पन्न होने की दशा में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को चयन में न्यूनतम 33 प्रतिशत प्राथमिकता दी जायेगी व अनुसूचित जाति जनजाति के लिये लक्ष्य उनकी जोतों की संख्या के अनुपात में सुनिश्चित किये जायेंगें, जैसा कि मैक्रोमैनेजमेंट की संशोधित गाइडलाइन्स में व्यवस्था दी गयी है।

3.4 रुपये दस हजार या इससे अधिक अनुमातिक मूल्य के कृषि यंत्रों/मशीनरी के संबंध में लाभार्थियों का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा किया

जायेगा। समिति में उद्योग विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र के मशीनरी विभाग के विशेषज्ञ, कृषि रक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन/उद्यान अथवा पुशपालन विभाग के अधिकारी जो भी उपलब्ध हों (विशेष रूप से कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनरी से सम्बन्धित विशेषज्ञों) को लेकर कम से कम तीन सदस्यीय समिति जिलाधिकारी द्वारा गठित की जायेगी। समिति द्वारा किसानों की सूची को भौतिक, वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप अनुमोदित किया जायेगा तथा यह ध्यान रखा जायेगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तथा लघु सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता मिले। लक्ष्य से मांग अधिक होने पर किसानों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी ताकि अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने की स्थिति में अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके।

3.5 उपरोक्त को छोड़कर अन्य कृषि यंत्रों/मशीनरी के लाभार्थियों का चयन उपरोक्तानुसार विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (कृषि)/विकास खण्ड प्रभारी द्वारा उसे आवंटित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत किया जायेगा। लक्ष्यों का आवंटन मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3.6 इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किसी एक किसान को दूसरी बार शक्ति चालित वही यंत्र/उपकरण अथवा मशीनरी के लिये तब तक चयन नहीं किया जायेगा जब कि पूर्व में अनुदान पर लिये गये यंत्र/उपकरण अथवा मशीनरी की निर्धारित आयु सीमा पूरी न कर ली गयी हो, किन्तु किसी भिन्न प्रकार के यंत्र अथवा मशीनरी के लिये चयनित किया जा सकेगा।

3.7 विभिन्न मेक एवं मॉडल्स के यंत्रों, उपकरणों एवं मशीनरी तथा विक्रय केन्द्रों की जानकारी दी जायेगी। यह विवरण न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक मास होने वाली किसान गोष्ठियों में भी उपलब्ध कराया जायेगा।

4. अनुदान वितरण की प्रक्रिया

4.1 कृषि यंत्रों, उपकरणों व मशीनरी पर सब्सिडी का वितरण सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा न्याय पंचायत प्रभारी के माध्यम से किया जायेगा।

4.2 यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय में न जाना पड़े।

4.3 किसान द्वारा विक्रेता को पूरी धनराशि देकर यंत्र, मशीनरी, उपकरण क्रय कर लिये जाने के उपरान्त कृषि विभाग को मूल क्रय रसीद प्रस्तुत करते हुये विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को एकाउंट पेयी चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अनुदान का वितरण किया जायेगा। किसान के लिखित अनुरोध पर एकाउन्ट पेई चैक/बैंक ड्राफ्ट डीलर को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

4.4 प्रत्येक विकास खण्ड, तहसील एवं जिला स्तर पर लाभार्थियों को चेक/बैंक ड्राफ्ट वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों/मा. जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चेक/बैंक ड्राफ्ट वितरण कराया जाय।

5. अभिलेखों का रख-रखाव

5.1 जिला/क्षेत्रीय स्तर पर यंत्रों/मशीनरी के अनुदान वितरण से सम्बन्धित पंजिका अनिवार्य रूप से रखी जायेगी ताकि क्षेत्र में समय-समय पर वितरित यंत्रों/मशीनरी का प्रगति विवरण तैयार हो सके तथा भौतिक सत्यापन करने में कठिनाई न हो।

भवदीय,


(डा० रणवीर सिंह)

सचिव

संख्या: 860/XIII-I/2009-5(33)/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा इन्द्रानगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी नैनीताल।
4. कुलपति, गोवठपठकृठ एवं प्रौठविठविठ, पंतनगर।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. अधिष्ठाता, प्रौद्योगिकी विद्यालय, पन्तनगर।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी।
11. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, राजकोषीय बजट प्रबन्धन, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड पत्रावली।
15. सन. भा. मा. सचिवालय परिसर, देहरादून

आज्ञा से

(अतर सिंह)
उप सचिव

.....

**LIST OF AGRICULTURAL IMPLEMENTS & MACHINES TO BE TESTED
AT FMTTIS OF THE DEPARTMENT**

S.N.	Name of Equipment/Machine
A	Land Development, tillage and Seedbed preparation Equipments
1	Tractor
2	Power Tiller
3	Hydraulically Reversible MB Plough [#]
4	Cultipacker (Tractor Mounted)
5	Combined Tillage Tool (Tractor drawn)/Integrated tool bar [#]
6	Pulverizing Roller (Tractor drawn)
7	Laser land leveler
B	Sowing & Planting Equipment
8	Self-propelled Paddy Transplanter/Mat type power operated paddy transplanter
9	Multi-crop Planter (Tractor Driven)
10	Tractor Driven Potato Planter [#]
11	Tractor Driven Ridger Seeder [#]
12	Tractor Driven Groundnut Planter [#]
13	Vegetable Transplanter (Tractor drawn)
14	Tractor Drawn Pneumatic Planter
15	Raised-bed Planter [#]
16	Roto Till drill/Strip till drill/Happy combo seeder
17	Tractor Drawn Sugarcane Cutter Planter [#]
C	Intercultivation Equipments
18	Power Cono Weeder
19	Self Propelled Power Weeder
20	Light Weight Power Tiller
D	Plant Protection Equipment
21	Tractor mounted sprayer
22	Self propelled light weight boom sprayer [#]
23	Self propelled high clearance sprayer
24	Aeroblast sprayer/Orchard Sprayer
E	Harvesting & Threshing Equipments
25	Combine Harvester (Self Propelled/Tractor Powered)
26	Self propelled vertical conveyor reaper/binder
27	Tractor/power tiller drawn vertical conveyor reaper
28	Self propelled forage harvester
29	Tractor mounted potato digger elevator [#]
30	Tractor mounted groundnut digger shaker [#]
31	Power Sunflower thresher [#]
32	Powered maize sheller [#]

33	Multicrop thresher [#]
34	Axial flow paddy thresher [#]
35	Powered Groundnut thresher/decorticator [#]
36	Hadamba/syndicator thresher
37	Power Maize dehusker cum sheller [#]
F	Equipments for Residue Management
38	Tractor Driven Straw Shredder
39	Tractor Driven Straw Baler
40	Feed- Block making Machine
41	Tractor Driven Forage Harvester
42	Flail type straw chopper cum spreader [#]
G	Post Harvest & Agro Processing Equipments
43	Rubber roll rice sheller
44	Semi-automatic mini dal mill [#]

[#] These machines may also be tested by the institutions designated by the State Governments, provided adequate infrastructure for testing is available and testing is carried out as per BIS Standards.